अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2006

सं. एल-7/25(6)/2004-सीईआरसी. – केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 178 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का और इस निमित्त सामर्थ्यकारी सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा पूर्व प्रकाशन के पश्चात्, भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (जिसे इसमें इसके पश्चात् "ग्रिड संहिता" कहा गया है) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात् :–

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :**

(1) इन संशोधनों का संक्षिप्त नाम भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता (दूसरा संशोधन) विनियम, 2004 है ;

(2) ये विनियम राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।

2. ग्रिड संहिता के अध्याय 1 का संशोधन : ग्रिड संहिता के अध्याय 1 के खंड 1.3 के उपखंड (iii) के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"(iii) आईईजीसी के प्रयोजन के लिए, भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड (बीबीएमबी) और सरदार सरोवर परियोजना (एस एस पी) के उत्पादन केन्द्रों को, अन्तर-राज्यिक उत्पादन केन्द्रों के रूप में समझा जाएगा किन्तु उनकी पारेषण प्रणाली आईएसटीएस का भाग रूप होगी । यह इसलिए है कि उत्तरी क्षेत्र/पश्चिमी क्षेत्र के कुछ ही राज्यों की बीबीएमबी/एसएसपी में हिस्सेदारी है और उनकी उत्पादन यूनिटों को एक विशेष रीति (सिंचाई अपेक्षाओं के समन्वयन में) में अनुसूचित और प्रेषण किया जाना होता है । बीबीएमबी/ एसएसएनएनएल उत्पादन के अनुसूचीकरण तथा प्रेषण की जिम्मेदीरी निरन्तर बीबीएमबी/ नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण पर इस उपबंध के साथ होगी कि अपने-अपने प्रादेशिक भार प्रेषण केन्द्र तथा फायदाग्राहियों के साथ समन्वय करेगा ।"

3. ग्रिड संहिता के अध्याय 6 का संशोधन : ग्रिड संहिता के अध्याय 6 के खंड 6.3 के पैरा 3के स्थान पर, निम्नलिखित रखा जाएगा, अर्थात् :-

"इसी प्रकार, सरदार सरोवर परियोजना (एसएसपी) के उत्पादन केन्द्रों के लिए अनुसूचीकरण तथा प्रेषण प्रक्रिया पश्चिम क्षेत्रीय भार प्रेषण केन्द्र द्वारा नर्मदा नियंत्रण प्राधिकरण के परामर्श से पृथक् रूप से तैयार की जाएगी"।

के. एस. डींगरा, प्रमुख (विधि)

[विज्ञापन-III/IV/150/2006/असा.]

टिप्पणः- भारतीय विद्युत ग्रिड संहिता तारीख 17.3.2006 को भारत के राजपत्र, (असाधारण) भाग-3, खंड- 4 में अधिसूचित की गई थी और तारीख 28.8.2006 को भारत के राजपत्र (असाधारण), भाग 3, खंड 4 में अधिसूचित केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग (अंतर-राज्यिक पारेषण में खुली पहुंच) (पहला संशोधन) विनियम, 2005 द्वारा अधिसूचित की गई थी ।